झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 26 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

DISPOSED
22/07/2022.

अपीलकर्त्ता श्री सोनामाई तुबिड, ग्रा॰ मुण्डा, डा॰- कैनुवा, पं॰ - बासेबासा, प्रखण्ड - टोन्टो, पश्चिमसिंहभूम।

बनाम

प्रतिवादी DSO पश्चिमसिंहभूम।
BSO, टोन्टो।
PDS डिलर की उनकी बानए

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	ग्रामीण मुण्डा, कैनुवा ग्राम, पीढ़–गुमुआ, प्रखण्ड–टोन्टो, पश्चिमी सिंहभूम का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री दुम्बी बानरा के विरूद्ध माह सितम्बर 2021 का राशन वितरण नहीं करने, राशन की कटौती करने आदि से संबंधित शिकायत के मामले में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आयोग में अपील की गई है। प्राप्त अपील के आवेदन के आलोक में सुनवाई कराने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–28.04.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि को सुनवाई के दौरान आयोग न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु प्रतिवेदन जन वितरण प्रणाली दुकानदार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, टोन्टो को नोटिस निर्गत किया जाय। इसकी सूचना अपीलकर्ता को देते हुए उन्हें व्हाटस्एप विडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित रहने का नोटिस दिया गया है। 18/04/2022	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–28.04.2022 को वाद सं0–26/2022 के मामले में सुनवाई की गईः–

अभिलेख उपस्थापित।

वादी प्रतिवादी अनुपस्थित। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–14.06.2022 को निर्धारित की जाती है।

उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहने हेतु उभयपक्ष को एतद् संबंधी नोटिस निर्गत किया जाय।

18.5.22

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

18/05/22

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों द्वारा अपना–अपना पक्ष रखा गया। उभयपक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष का आरोप सत्य है। उन्हें पिछले 4 माह से जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा राशन में कटौती कर राशन दिया जा रहा है। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम एवं जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बताया गया कि जनवितरण प्रणाली वितरक का कहना है कि उन्हें आवंटन कम मिल रहा था, इसलिये राशन वितरण में कटौती किया गया। आयोग ऐसे तकनीकी कारणों एवं तंत्र को स्वीकार नहीं कर सकता है। हर कार्डधारी को प्रत्येक माह सरकार द्वारा निर्धारित अनाज उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित कराना जिला आपूर्ति पदाधिकारी की वैधानिक जिम्मेवारी है। सुधार कर देने का आश्वासन काफी नहीं है, शिकायतकर्ता को जो परेशानी हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि जितने ग्रामीणों के अनाज में जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा कटौती की गई है, 15 दिनों के अन्दर सभी ग्रामीणों को कटौती किये गये अनाज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर आयोग को सूचित करें। आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता एवं ग्रामीणों के शिकायत–पत्र में जिन–जिन बिन्दुओं को उठाया गया, उन सभी बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा तय समय में कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई किया जायेगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–05.07.2022 को निर्धारित की जाती है। चूंकि सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई है, अतः अगली निर्धारित तिथि की सूचना उभयपक्ष को दें। आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को भेजें। अभिलेख दिनांक–05.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx12	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
05.07.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। उभयपक्ष उपस्थित। तकनीकी खामियों के कारण शिकायतकर्ता का पक्ष सुनवाई में नहीं आ पाया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम का कहना है कि उन्हें कल ही जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सुनवाई के बाद उनके द्वारा उक्त प्रतिवेदन आयोग को भेज दिया जायेगा। उनका कहना है जाँच प्रतिवेदन के अनुसार जो राशन का वितरण नहीं किया गया था, वह शिकायतकर्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में आयोग के कर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि शिकायतकर्ता से दूरभाष पर संपर्क कर इस आशय का पता लगाएँ कि शिकायतकर्ताओं के शिकायत का निवारण हुआ है अथवा नहीं। अगली सुनवाई में शिकायतकर्ताओं का पक्ष आने के बाद आयोग द्वारा समुचित निर्देश दिया जायेगा। उपरोक्त निर्देश के आलोक में श्री विनोद कुमार वर्मा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता की गई। शिकायतकर्ता श्री सोनामाई तुविड द्वारा बताया गया कि वर्तमान में राशन डीलर के गोदाम में अनाज आ गया है एवं डीलर द्वारा आज शाम को राशन वितरण कर दिया जायेगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–22.07.2022 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को दें। अभिलेख दिनांक–22.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। उभयपक्ष उपस्थित। तकनीकी खामियों के कारण शिकायतकर्ता की स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आयोग यह मान रहा है कि शिकायतकर्ता का यह कहना है कि उनके द्वारा आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन भी है, जिसमें शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा देने का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता की संतुष्टि एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिवेदन के आधार पर इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	